06/04/21

वकील अपी० द्वारा प्रार्थना पत्र मय अधि० न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02/12/19 पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित मूल वाद सं० 42/14 का निर्णय 02/12/19 को हो चुका है अतः जिसके कारण उक्त अपील प्रभावहीन हो चुकी है अतः पत्रा० सारहीन होने से खारीज फरमाई जावे।

वकील अपी० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील द्वारा मूल वाद के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई। मूल वाद के निर्णित होने से उक्त अपील प्रभावहीन हो चुकी है अतः वकील अपी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिये विड्राल खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

No objection